उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-04/2022/एस-2-।/129433/दस-2021-23/2021
लखनऊ :: दिनॉक:: 05 जनवरी 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के, कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहॉ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री राम अवतार वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री अशोक कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3	श्री कमलेन्द्र कुमार वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 लखनऊ।

2- उक्त अधिकारी तत्काल अपने नवीन तैनाती/अतिरिक्त प्रभार के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2022-एस-2-।/129433(1)/दस-2021,तददिनॉक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्राविधिक शिक्षा/कृषि/चिकित्सा शिक्षा/पर्यटन/नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग,उ0प्र0 शासन।

2- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मिशन निदेशक उ0प्र0 राज्य कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।

6- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

8- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।

9- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/गोरखपुर।

11- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार ।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सजीवन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है।**